OFFICE DISTRICT MAGISTRATE, GHAZIABAD

Letter No. :- 999 /DMO- Gha/ 2022-23 Date:- 11-11-2022

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com

Sub: **Report of the Joint Committee in compliance of Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi Order dated 12-07-2022 in OA No-160/2022 Ompal & Ors. Versus State of Uttar Pradesh & Anr.**

Respected Sir,

With reference to the above-mentioned subject the Joint Committee inspected the site in compliance of Hon'ble National Green Tribunal order dated 12-07-2022 in OA No-160/2022 Ompal & Ors. Versus State of Uttar Pradesh & Anr. Joint Committee's report is hereby submitted for kind perusal and necessary action please.

Enclosure: Joint report.

Yours Sincerely
11/11/2022
(Sunny Koushal)
District Mining Officer
Ghaziabad.

Copy to:

1- District Magistrate, Ghaziabad for information
2- Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

District Mining Officer
Ghaziabad.

संयुक्त जांच आख्या

कृपया मा0 न्यायालय एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित OA No.-160/2021 OM Pal & Ors. Vs State of Uttar Pradesh Anr. में पारित आदेश दिनांक 12.07.2022 के अनुपालन में पट्टाधारक श्री मुमताज अली पुत्र स्व0 श्री फकीर मौहम्मद निवासी– मौहम्मदाबाद, जनपद–ज्योतिबा फूले नगर–244235 के पक्ष में स्वीकृत उपखनिज बालू खनन पट्टा क्षेत्र जनपद गाजियाबाद के तहसील लोनी अन्तर्गत ग्राम पचायरा खण्ड–1 के गाटा सं0 8मि0, 9मि0, 10मि0, 11मि0, 12 मि0, 13मि0, 17मि0, 18, 19, 20मि0, 21मि0, 22मि0, 25मि0, 26मि0, 27मि0, 30मि0, 37मि0, 38मि0, 39मि0, 40मि0, 41मि0, 53मि0, 54मि0, 55मि0, 56मि0, 57मि0, 237मि0, 238मि0, 239मि0, 240मि0 रकबा 16.183 है0 मात्रा 323600 घ0मी0 प्रतिवर्ष पट्टा अवधि दिनांक 14.10.2020 से 13.10.2025 तक की संयुक्त जांच खान अधिकारी, गाजियाबाद एवं सहायक पर्यावरण अभियंता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद के साथ दिनांक 03.11.2022 को की गयी। मा0 न्यायालय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.2022 के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् हैः–

1. स्थलीय जांच में उक्त पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य बंद पाया गया। यहाँ यह अवगत कराना है कि मानसून सत्र (दिनांक 01.07.2022 से 30.09.2022 तक) में खनन कार्य बंद हो गया था, जो वर्तमान में शुरू नहीं हुआ है। मानसून सत्र में यमुना नदी में जल स्तर बढ़ जाने एवं पट्टा क्षेत्र में माह 01 जुलाई, 2022 अर्थात् पिछले 04 माह से ही खनन कार्य बंद होने के कारण पट्टा क्षेत्र के सीमाचिन्ह मिट गये है। पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य शुरू होने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पट्टा क्षेत्र को जियो कार्डिनेट के अनुसार व्यवस्थित करते हुये सीमा बिन्दु के पिलर और कैमरा पुनः लगाया जाये। स्वीकृत खनन पट्टे का जियो कार्डिनेट संलग्न है। **(संलग्नक–1)**

2. स्थलीय जांच में खनन पट्टा क्षेत्र से कुछ दूरी पर तौल मशीन Weighment Bridge लगा हुआ पाया गया, जिसके फोटोग्राफ्स संलग्न है। खनन कार्य शुरू होने से पूर्व उक्त Weighment Bridge का केलीब्रेशन कराया जाना आवश्यक है। **(संलग्नक–2)**

3. याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका में यह कथन किया गया है कि पट्टाधारक द्वारा खनन कार्य से बने गड्ढे में गिरने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गयी थी। इस सम्बंध में यह अवगत कराना है कि इस प्रकार की घटना की कोई सूचना कभी भी खान अधिकारी, गाजियाबाद के संज्ञान में नहीं आयी है। याचिकाकर्ता द्वारा उक्त घटना के सम्बंध में साक्ष्य सहित विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त के कारण याचिकाकर्ता के कथन की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं है।

4. याचिकाकर्ता द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के क्रम में Compensation दिलाये जाने का कथन किया गया है। यहाँ यह अवगत कराना है कि याचिकाकर्ता द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के क्रम में Compensation दिलाये जाने हेतु किसी प्रकार का प्रत्यावेदन खनन विभाग, गाजियाबाद के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के क्रम में Compensation दिलाये जाने हेतु यदि कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

5. याचिकाकर्ता द्वारा पट्टाधारक पर प्रतिबन्धित क्षेत्र में खनन किये जाने व इस सम्बन्ध मे विभाग द्वारा पैनाल्टी/रायल्टी वसूली किये जाने के सम्बन्ध में कथन किया गया है, जिस सम्बन्ध मे

—.2

AEE MO

अवगत कराना है कि खनन पट्टा स्वीकृति दिनांक 14.10.2020 के उपरान्त संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 18.03.2021 को पट्टा क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया,जिसमें पट्टाधारक द्वारा पट्टा क्षेत्र से बाहर पश्चिम दिशा में खनन किया जाना पाया गया था, जिसके क्रम में पट्टाधारक ऊपर रु0 69,07,160.00 की धनराशि पैनाल्टी के रूप मे अधिरोपित की गयी है। इस सम्बन्ध में पट्टाधारक द्वारा जारी नोटिस के विरूद्ध मा0 न्यायालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के समक्ष वाद योजित किया गया। पट्टाधारक द्वारा योजित वाद को मा0 न्यायालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा बलहीन होने के कारण निरस्त कर दिया गया। पट्टाधारक पर आरोपित पैनाल्टी की धनराशि रू0 69,07,160.00 को जमा करने हेतु पुनः नोटिस प्रेषित किया गया। वर्तमान मे उक्त राशि को वसूला नही गया है। वसूली कार्यवाही प्रचलित है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में आवेदन उपरान्त अथवा निरीक्षण दिनांक 08.04.2022 में किसी प्रकार का अवैध खनन नही पाया गया है।

5. पूर्व की जांच आख्या दिनांक 08.04.2022 **(संलग्नक–3)** के अनुसार सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग एवं खनन विभाग की संयुक्त जांच के आधार पर सिंचाई विभाग के गाईडलाईन के अनुसार ही पट्टा खण्ड बना है तथा पट्टाधारक द्वारा पट्टा सीमा क्षेत्र में खनन कार्य किया गया है। वर्तमान में खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य बंद है। पट्टाधारक को स्वीकृत खनन अनुमति में मात्र 03 मी0 गहराई तक खनन व उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 में अनुमन्य मशीनों द्वारा ही कार्य किये जाने की अनुमति दी गयी है। पट्टाधारक द्वारा खनन कार्य शुरू करने पर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नियमानुसार वर्गीकृत मशीन एवं गहराई के अनुसार पट्टा सीमा क्षेत्र के अन्दर खनन कार्य किया जायेगा।

6. पट्टा क्षेत्र की स्थलीय जांच दिनांक 03.11.2022 में पट्टा क्षेत्र की मौके पर लिये गये फोटोग्राफ्स संलग्न हैं। **(संलग्नक–4)**

अतः उपरोक्तानुसार आख्या सादर सेवा में प्रस्तुत है।

03/11/22   03/11/2022

सहायक पर्यावरण अभियंता
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गाजियाबाद।

खान अधिकारी
गाजियाबाद।

संलग्नक –1

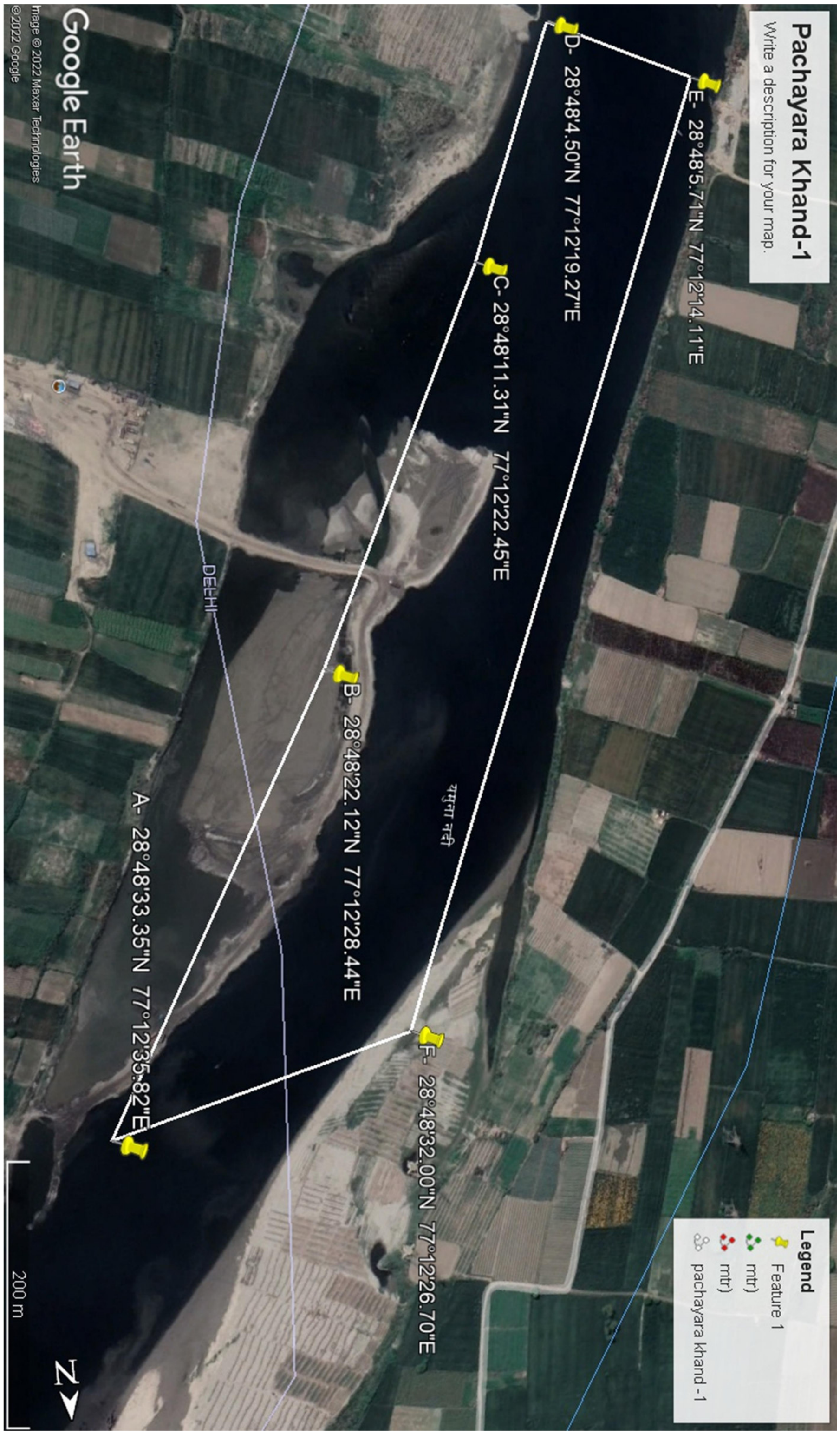
Pachayara Khand-1
Write a description for your map.
E- 28°48'5.71"N 77°12'14.11"E
D- 28°48'4.50"N 77°12'19.27"E
C- 28°48'11.31"N 77°12'22.45"E
B- 28°48'22.12"N 77°12'28.44"E
A- 28°48'33.35"N 77°12'35.82"E
F- 28°48'32.00"N 77°12'26.70"E
यमुना नदी
DELHI
Legend
Feature 1
mtr)
mtr)
pachayara khand -1
Google Earth
Image © 2022 Maxar Technologies
©2022 Google
200 m
N

संलग्नक –2

(वे–ब्रिज)

संलग्नक –3(1)

संयुक्त जांच आख्या

मा0 एन0जी0टी नई दिल्ली में योजित OA No. 160/2022 Om Pal & Ors. Versus State of Uttar Praesh & Anr. में पारित आदेश दिनांक 10.03.2022, द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा जिलाधिकारी गाजियाबाद की संयुक्त समिति के माध्यम से बालू खनन पट्टा ग्राम पचायरा खण्ड–1 के खसरा सं0 8, 9, 10, 11, 12, 13, 37 व 38 में अवैध बालू खनन की जांच किये जाने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश के अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जनपद गाजियाबाद के प्रतिनिधि के रूप में श्री बी0के0 सिंह, सहायक पर्यावरण अभियंता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद तथा जिलाधिकारी गाजियाबाद के आदेश दिनांक 15.03.2022 के द्वारा अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0) , गाजियाबाद को नामित किया गया। कार्यालय अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0) गाजियाबाद के पत्र सं0 2247/एन0जी0टी0–142/ओपन–160/2022 दिनांक 26.03.2022, द्वारा जिला खनन अधिकारी, गाजियाबाद एवं तहसीलदार लोनी को उपरोक्त आदेश के अनुपालन में बालू खनन पट्टा ग्राम पचायरा खण्ड–1 में अवैध बालू खनन की जाँच के समय अपने अधीनस्थ स्टाफ एवं आवश्यक अभलेखो सहित उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया।
दिनांक 04.04.2022 को अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0) गाजियाबाद, ज्येष्ठ खान अधिकारी गाजियाबाद, सहायक पर्यावरण अभियंता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद, तहसीलदार लोनी, सर्वेक्षक क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद, क्षेत्रीय कानूनगो एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण शिकायतकर्ता श्री ओमपाल की उपस्थिति में किया गया, जिसकी जांच आख्या निम्नवत् हैः–

जनपद गाजियाबाद के तहसील लोनी के अर्न्तगत ग्राम पचायरा खण्ड–1 के गाटा सं0 8मि0, 9मि0, 10मि0, 11मि0, 12 मि0, 13मि0, 17मि0, 18, 19, 20मि0, 21मि0, 22मि0, 25मि0, 26मि0, 27मि0, 30मि0, 37मि0, 38मि0, 39मि0, 40मि0, 41मि0, 53मि0, 54मि0, 55मि0, 56मि0, 57मि0, 237मि0, 238मि0, 239मि0, 240मि0 के रकबा–16.183 हे0 में 05 वर्ष की अवधि के लिये बालू खनन श्री मुमताज अली पुत्र स्व0 श्री फकीर मौहम्मद निवासी–मौहम्मदाबाद, जनपद–ज्योतिबा फूले नगर– 244235 के पक्ष में स्वीकृत एवं संचालित है।

शिकायतकर्ता श्री ओमपाल द्वारा शिकायत की गयी है कि पट्टेधारक श्री मुमताज अली द्वारा खसरा सं0 8, 9, 10, 11, 12, 13, 37 व 38 में 15–20 फीट गहरे गडढे करके अवैध बालू खनन किया जा रहा है, साथ ही पट्टेधारक द्वारा भारी मशीनों द्वारा बालू खनन कर लोडिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण पट्टेधारक द्वारा खनन करने से यमुना नदी बंधे से 600 मीटर की दूरी के अन्दर शिफ्ट हो गयी है।

उक्त शिकायत के सम्बंध में जांच के समय पाया गया कि उपरोक्त उल्लिखित खसरा सं0 श्री मुमताज अली के पक्ष में स्वीकृत पट्टा क्षेत्र के अर्न्तगत आते है। श्री मुमताज अली द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य किया जा रहा है, जो अवैध खनन की श्रेणी में नहीं आता है। स्वीकृत पट्टा क्षेत्र का एक हिस्सा वर्तमान में जलमग्न है एवं जो क्षेत्र सूखे में है उसमें किसी भी प्रकार का गडढा नहीं पाया गया। भारी मशीनों के सम्बंध में गठित टीम ने देखा कि जाँच के समय पट्टाधारक द्वारा निदेशालय के पत्र सं0 414/एम0 (खनन नीति)/2018 दिनांक 21.06.2019 में उल्लेखित मशीन द्वारा कार्य किया जा रहा है। **(निदेशालय के पत्र दिनांक 21.06.2019 की छायाप्रति एवं उ0प्र0 उपखनिज (परिहार)नियमावली, 2021 के नियम–35 की छायाप्रति संलग्न है।)**

संलग्नक –3(2)

उक्त शिकायत के सम्बंध में अवगत कराना है कि पट्टा व्यवस्थापन के समय सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग एवं खनन विभाग की संयुक्त जांच के आधार पर सिंचाई विभाग के गाईड लाईन के अनुसार की पट्टा खण्ड बना है। संयुक्त टीम द्वारा जांच के समय मौके पर देखा गया कि व्यवस्थापन के समय जो जियोकार्डिनेटस है, उसी जियोकार्डिनेटस के अन्दर ही पट्टेधारक द्वारा खनन का कार्य किया जा रहा है। सिंचाई विभाग के पुस्ता से 600 मीटर के बाहर ही स्वीकृत खनन पट्टे के सीमास्तम्भ यथा स्थान स्थित है। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत है:–

अतः शिकायतकर्ता की उपरोक्त शिकायत निराधार है।

उपरोक्तानुसार जांच आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रस्तुत है।

8/04/2022	8/4/2022		
क्षेत्रीय लेखपाल	क्षेत्रीय कानूनगो	सर्वेक्षक क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद	तहसीलदार लोनी

08/04/22

सहायक पर्यावरण अभियंता,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गाजियाबाद

8/4/22

ज्येष्ठ खान अधिकारी
गाजियाबाद।

अपरजिलाधिकारी (वि0 / रा0)
गाजियाबाद।

संलग्नक –4

" सरकारी पट्टा "
पट्टा धारक का नाम - मुमताज अली
ग्राम पचायरा खण्ड संख्या - 01
तहसील लोनी जनपद - गाजियाबाद
क्षेत्रफल - 16.183 हे.
पट्टे की अवधि दिनॉक - 21.10.2020 से
20.10.2025 तक
पॉच वर्ष हेतु
पिलर - A B C D E
रेट धन मी.
दिनॉक. 7.
आज